न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 10/**2019** अपील (राजस्व)

श्रीमती नारूडी पुत्री कन्ना जी पत्नी ओमा जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— अपीलार्थीयां

बनाम

1. श्रीमती मोहनी पुत्री स्व. सुरता उर्फ हुरता जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री नारायणलाल पिता लिम्बा जी भील निवासी झिण्डोली तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी सुरजकुमार जी परिहार निवासी 192 एन.बी.नगर प्रतापनगर उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती चन्द्ररेखा पत्नी नारायणलाल जी कोठारी निवासी 17 गणेशनगर, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री गजेन्द्र कुमार रांका पिता हरिसिंह जी रांका निवासी 8 सी सोफिया स्कूल के पीछे सुन्दरवास, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती सुनीता पत्नी अरूण जी अग्रवाल निवासी 53 न्यु केशवनगर उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री नरेशचन्द्र पिता मोहनलाल जी अग्रवाल निवासी 34/289 कोल्डहाउस, बापूबाजर उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती नयनकुमारी पत्नी नरेशचन्द्र जी अग्रवाल निवासी 34/289 कोल्डहाउस, बापूबाजर उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती विनिता पत्नी पवनजी बंसल निवासी 899 वी.आई.पी. हाउस वसन्त विहार ब्लड बैंक रोड, कोटा (राज.)
10. श्री आर्थर जी पीटर पिता जी पीटर निवासी 2 न्यु जयश्री कॉलोनी, बोहरागणेशजी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
11. सुमन आर्लिन पीटर पुत्री आर्थरजी पीटर निवासी 2 न्यु जयश्री कॉलोनी, बोहरागणेशजी, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती निशा पत्नी संजीव जी शर्मा निवासी 116ए ब्लॉक सेक्टर नं. 14, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
13. श्री अविनाश पिता ओमप्रकाश जी शर्मा निवासी सी.97 आर.के.कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
14. श्री रामलाल पिता लालुराम जी भील निवासी हाथीधरा बडी, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
15. श्री प्रभुलाल उर्फ पपु पिता पेमा जी भील निवासी सुआवतो का गुडा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्री हकरिया पिता भमरू जी भील निवासी साकरोदा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्री राजु पिता भमरू जी भील निवासी साकरोदा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested

18. श्री रूपलाल पिता भमरू जी भील निवासी साकरोदा तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
19. श्री ख्यालीलाल पिता कन्ना जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
20. श्री लालुराम पिता कन्ना जी भील निवासी घणोली तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
21. श्रीमती राधी पत्नी मोतीलाल जी भील निवासी नाहरमगरा तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
23. पटवारी, पटवार हल्का नाहरमंगरा, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

—— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध तहसीलदार मावली द्वारा आदेशित नामान्तकरण
ग्राम नाहरमंगरा नामा.सं. 4386 दिनांक 10.12.2001

उपस्थित : श्री आर.एस.राव अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री भगवानलाल पालीवाल, अधिवक्ता रेस्पो.सं.3, 4
श्री इकबाल मोहम्मद, अधिवक्ता रेस्पो.सं. 19, 21
श्री सम्पतलाल बोहरा अधिवक्ता रेस्पो.सं.1,2,5,13,14

निर्णय

दिनांकः— ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील तहसीलदार मावली द्वारा पारित नामान्तकरण ग्राम धुणीमाता के नामान्तकरण सं. 4386 दिनांक 10.12.2001 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धुणीमाता की आराजी नं. 6121/3569, 6123/3569, 6125/3569, 6126/3569, 6127/3569, 6122/3569, 6124/3569 के खातेदार हुरता पिता देवा जी भील के नाम दर्ज थी। पूर्व में सेटलमेन्ट जमाबन्दी अनुसार उक्त आराजीयात ग्राम नाहरमगरा पटवार हल्का तहसील मावली में स्थित थी जिसके आराजी नम्बर 3569 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा जमीन स्थित थी उक्त आराजीयात विरासत नामान्तरण संख्या 4386 दिनांक 12.12.2001 से मोहनी पिता हुरता भील के नाम दर्ज हुई। राजस्व ग्राम धुणीमाता सम्वत 2063—2066 में ग्राम नाहरमगरा से पृथक होने पर उपरोक्त आराजी 3569 मोहनी के नाम से दर्ज हुई। सुरता उर्फ हुरता का देहान्त दिनांक 15.11.85 को हो चुका। उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। उनकी दो पुत्रीयां मोहनी व लोगरी थी। लोगरी का विवाह कन्ना भील निवासी साकरोदा के साथ हुआ। सुरता उर्फ हुरता भील की मृत्यु के उपरान्त उनकी समस्त जायदाद व सम्पत्ति पर उसकी दोनो पुत्रियों का हक व अधिकार था। दोनो अनपढ होकर कानून की प्रक्रिया की अनभिज्ञता के कारण नामान्तकरण की प्रक्रिया नहीं करवायी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested

सुरता उर्फ हुरता भील की मृत्यु के करीब 10 वर्ष बाद सुरता उर्फ हुरता भील की पुत्री लोगरी की भी मृत्यु हो गई। जिसके वारिस मै अपीलार्थीयां व विपक्षी सं. 16 से 21 तक है। इस दरमियान कुछ भूमि दलालों व मेरी माता के भाई बहन जो कि विपक्षी सं. 2 से 15 है, ने मिलकर तहसीलदार मावली, पटवारी व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने मिलकर एक गलत एवं फर्जी परिवार खानदान सजरा बनाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को मात्र विधिक वारिस घोषित कर समस्त जायदाद मोहनी के नाम पर दर्ज करा, दर्ज जमीनों को रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 15 ने अपने हिसाब से खुर्द–बुर्द कर दिया। जबकि उक्त भूमि पर लोगरी की तरह मुझ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 16 से 21 का भी समान हक व अधिकार है। जिस कारण उक्त फर्जी नामान्तकरण जो हमे हमारे हिस्से से महरूम रखने की नियत से पारित किया गया जो खारीज होने योग्य है। अपीलीय नामान्तकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से परे होने के कारण उक्त नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम नाहरमगरा का नामान्तकरण सं. 4386 दिनांक 10.12.2001 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थिया का नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश करावे।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी माता की मृत्यु वर्ष 1985 में हो गई। उसके करीब 13 से 15 वर्ष बाद उक्त नामान्तकरण खोला गया। जिसकी जानकारी मुझ प्रार्थीया को नहीं दी गई। प्रार्थीया गरीब एवं अनपढ होने के कारण कानूनी जानकारी के अभाव में नामान्तकरण की कार्यवाही से अनभिज्ञ थी। नामान्तकरण की जानकारी मुझे दिनांक 23.01.19 को नकल प्राप्त करने पर हुई। प्रकरण अचल सम्पत्ति से संबंधित है। अतः न्यायहित में मुझ अपीलार्थीयां को न्याय दिलाने हेतु क्षमा करने योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 19 व 21 द्वारा उपस्थित होकर अपीलान्ट की अपील को इकबालिया स्वीकार की गई। अपीलार्थीयां द्वारा भी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट सं. 6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 19,21,22 से जवाब 3, 4 से लिखित बहस प्राप्त है जो संलग्न पत्रावली है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब एवं लिखित बहस में निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील 19 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम में की गई युक्तियुक्त आधार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 10:54:30 IST
Reason: SelfAttested

केवलमात्र आधारहीन कयासी एवं विश्वास कराये जाने योग्य कारण नही है। अपीलार्थी पक्षकार नही होने से अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि इसके विपरित भी अपीलार्थी इसकी अधिकारिता धारण करता हो उक्त अवस्था मे भी उसे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है जो अपीलार्थी द्वारा नही किया गया। उक्त भूमि अपीलार्थी के खाते मे बहैसियत खातेदार कृषक द्वारा दर्ज होकर उसके पश्चात उक्त भूमि का रूपान्तरण कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित आदेश दिनांक 03.04.2009 को सक्षम अधिकारी द्वारा हो चुका है उसके पश्चात उक्त भूमि मे से भूखण्ड निर्मित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं 4 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2009 को क्रय कर साधिकार उस पर काबिज है। पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दे सकता है न कि म्यूटेशन की अपील कर एवं राजस्व न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत कर अपनी राहत प्राप्त कर सकता है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट संख्या 3 व 4 की ओर से तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.12.2001 न्यायालय तहसीलदार मावली बसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 4386 मौजा नाहरमगरा के विरूद्ध 2019 में प्रस्तुत की गई जो निर्धारित समयावधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत किया है जिसमे कोई युक्तियुक्त आधार का उल्लेख नही है। प्रस्तुत कारण केवलमात्र आधारहीन कयासी एवं विश्वास कराये जाने योग्य नही है। आलोच्य आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी पक्षकार नही होने से अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। यदि इसके विपरित भी अपीलार्थी इसकी अधिकारिता धारण करता हो उक्त अवस्था मे भी उसे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा इस बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। आलोच्य आदेश के क्रम में उक्त भूमि अपीलार्थी के खाते मे बहैसियत खातेदार कृषक द्वारा दर्ज होकर उसके पश्चात उक्त भूमि का रूपान्तरण कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित आदेश दिनांक 03.04.2009 को सक्षम अधिकारी द्वारा हो चुका है उसके पश्चात उक्त भूमि मे से भूखण्ड निर्मित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं 4 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.07.2009 को क्रय कर साधिकार उस पर काबिज है। पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त कराये जाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दे सकता है न कि म्यूटेशन की अपील कर एवं राजस्व न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत कर अपनी राहत प्राप्त कर सकता है। निर्णय में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: Self Attested

आर.बी.जे. (17)2010 पेज 289 सुखदेव प्रसाद बनाम ओमप्रकाश, आर.आर.बी 2012 पेज 641 श्रीमती भगवत कुंवर बनाम एल आर ऑफ विक्रम सिंह, आर आर डी 1985 पेज 584 सुन्दर बनाम हरिसिंह, आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1082 राजस्थान हाउसिंह बोर्ड बनाम श्रीमती भंवरी

विपक्षी संख्या 22 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार तत्कालीन ग्राम नाहरमगरा के नामान्तरकरण संख्या 4386 दिनांक 12.12.2001 अनुसार तत्कालीन ग्राम नाहरमगरा में हुरता पिता देवा जाति भील निवासी घणोली के नाम आराजी संख्या 3569 रकबा 4.14 बीघा दर्ज रिकार्ड होने से उक्त नामान्तरकरण से विरासत द्वारा मोवनी पिता हुरता जाति भील निवासी घणोली के नाम सरपंच, ग्राम पंचायत नान्दवेल एवं ग्राम घणोली के नामान्तरकरण संख्या 692 के आधार पर दर्ज कर रद्दोबदल किया गया। नामान्तरकरण सन 2001 का है जिसके विरूद्ध अपील 11.02.2019 को 18 वर्षो बाद की गई है। वर्तमान में खातेदार मोहनी द्वारा जरिये विक्रय पत्र के आधार पर पश्चातवर्ती खातेदार द्वारा भूमि विक्रय/रूपान्तरकरण द्वारा उक्त आराजी संख्या 3569 रकबा 4.14 बीघा का विभाजन होकर ग्राम धुणीमाता खाता संख्या 348 आराजी संख्या 6121/3569 रकबा 0.07 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6123/3569 रकबा 0.07 बीघा किस्म आबादी होकर खातेदार नारायणलाल पिता लिम्बा भील निवासी झिण्डोली, तहसील–गिर्वा, उदयपुर, खाता संख्या 670 आराजी संख्या 6122/3569 रकबा 0.16 बीघा खातेदार विजयलक्ष्मी पत्नी सूरजकुमार वगैरह, खाता संख्या 603 आराजी संख्या 6125/3569 रकबा 0.13 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6126/3569 रकबा 0.01 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6127/3569 रकबा 0.02 बीघा किस्म आबदी खातेदार रामलाल पिता लालुराम भील निवासी हाथीधरा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर खाता संख्या 749 आराजी संख्या 6124/3569 रकबा 0.14 बीघा किस्म आबादी, खातेदार सुनिता पत्नी अरूण अग्रवाल वगैरह के नाम एवं खाता संख्या 1 आराजी नंबर 3569 रकबा 1.14 बीघा किस्म रास्ता होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2,5,13,14 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट जाति से भील होकर अनुसूचित जाति की महिला है तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते। प्रार्थिया का कथित जमीन से दूर दूर तक कोई सम्बन्ध नही है प्रार्थिया वारिस नही है अतः अपील पेश करने का अधिकार नही है। 1,2,5,13,14 जब तक विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा देवे तब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये व स्वीकृत म्यूटेशन के विरूद्ध किसी को भी अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। अपील 18 वर्षो बाद पेश की गई है। अपील मियाद बाहर होने से कण्डोन किये जाने योग्य नही है। अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने के पूर्व कोई स्वीकृति प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested

नही की है एवं स्वीकृति के लिए धारा 96 जा.दी. का कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। अपील निरस्त मेन्टीनेबल नही होने से काबिल निरस्त के है। ताईद में निम्न केस लॉ प्रस्तुत किये गये:

RRD 1985 P 584, RBJ 2010 P 289, RRD 1995 P 64, DNJ 2015(3) (rev) P 202, RRT 2005 (2) P 1250] RRT 2005 (2) P 1018, RRD 2000 P 483, RRD 1966 P 71 (Full Bench), RRD 2006 P464 (HC), RRT 2016(2) P1437 (DB), RRT 2012 (1)P 431, RRD 2014 P 252, RRD 1994 P 604, RRD 1994 P 605, RRD 1995 P 300, RRD 1991 P 252, DNJ Raj 2002 (3)P 1357, RRT 2014 (1) P 624 एवं RRD 1998 P 321

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किया गया। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट दिनांक 17.02.2020 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 4386 दिनांक 10.12.2001 प्रमाणित सजरा सरपंच, ग्राम पंचायत नान्दवेल एवं ग्राम घणोली के नामान्तरकरण संख्या 692 के आधार पर दर्ज कर रद्दोबदल किया गया। नामान्तरकरण सन 2001 का है जिसके विरूद्ध अपील 11.02.2019 को 18 वर्षो बाद की गई है। वर्तमान में खातेदार मोहनी द्वारा जरिये विक्रय पत्र के आधार पर पश्चातवर्ती खातेदार द्वारा भूमि विक्रय/रूपान्तरकरण द्वारा उक्त आराजी संख्या 3569 रकबा 4.14 बीघा का विभाजन होकर ग्राम धुणीमाता खाता संख्या 348 आराजी संख्या 6121/3569 रकबा 0.07 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6123/3569 रकबा 0.07 बीघा किस्म आबादी होकर खातेदार नारायणलाल पिता लिम्बा भील निवासी झिण्डोली, तहसील–गिर्वा, उदयपुर, खाता संख्या 670 आराजी संख्या 6122/3569 रकबा 0.16 बीघा खातेदार विजयलक्ष्मी पत्नी सूरजकुमार वगैरह, खाता संख्या 603 आराजी संख्या 6125/3569 रकबा 0.13 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6126/3569 रकबा 0.01 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6127/3569 रकबा 0.02 बीघा किस्म आबदी खातेदार रामलाल पिता लालुराम भील निवासी हाथीधरा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर खाता संख्या 749 आराजी संख्या 6124/3569 रकबा 0.14 बीघा किस्म आबादी, खातेदार सुनिता पत्नी अरूण अग्रवाल वगैरह के नाम एवं खाता संख्या 1 आराजी नंबर 3569 रकबा 1.14 बीघा किस्म रास्ता होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है।

बहस पर मनन करने के उपरान्त स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 4386 दिनांक 10.12.2001 से रेस्पोडेन्ट मोहनी के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरकरण सन 2001 का है जिसके विरूद्ध अपील 11.02.2019 को 18 वर्षो बाद की गई है। वर्तमान में खातेदार मोहनी द्वारा जरिये विक्रय पत्र के आधार पर पश्चातवर्ती खातेदार द्वारा भूमि विक्रय/रूपान्तरकरण द्वारा उक्त आराजी संख्या 3569 रकबा 4.14 बीघा का विभाजन होकर ग्राम धुणीमाता खाता संख्या 348 आराजी संख्या 6121/3569 रकबा 0.07 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6123/3569 रकबा 0.07 बीघा किस्म आबादी होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2020.11.01 10:47:30 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार नारायणलाल पिता लिम्बा भील निवासी झिण्डोली, तहसील–गिर्वा, उदयपुर, खाता संख्या 670 आराजी संख्या 6122/3569 रकबा 0.16 बीघा खातेदार विजयलक्ष्मी पत्नी सूरजकुमार वगैरह, खाता संख्या 603 आराजी संख्या 6125/3569 रकबा 0.13 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6126/3569 रकबा 0.01 बीघा किस्म आबादी, आराजी संख्या 6127/3569 रकबा 0.02 बीघा किस्म आबदी खातेदार रामलाल पिता लालुराम भील निवासी हाथीधरा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर खाता संख्या 749 आराजी संख्या 6124/3569 रकबा 0.14 बीघा किस्म आबादी, खातेदार सुनिता पत्नी अरूण अग्रवाल वगैरह के नाम एवं खाता संख्या 1 आराजी नंबर 3569 रकबा 1.14 बीघा किस्म रास्ता होकर बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। अपीलार्थी द्वारा श्री सूरता उर्फ हुरता के विधिक वारिसान होने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। वर्तमान में भूमि हस्तांतरित हो चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलाण्ट राहत चाहता है तो सक्षम न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वाद दायर कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:54:30 IST
Reason: SelfAttested